न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 182/2024 दायर दिनांक–01.10.2024

1. संतोष कुमार पुत्र पालाराम आयु 58 वर्ष जाति बहामण निवासी देवीपुरा, तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू

—आवेदक

— :: बनाम ::—

1. गायत्री देवी पत्नी पालाराम (फोन)
2. बलराम पुत्र पालाराम
3. किशोर कुमार पुत्र पालाराम
4. महेन्द्र कुमार पुत्र पालाराम
5. दुर्गा पुत्री पालाराम
6. बेबी पुत्री पालाराम
7. मन्जू पुत्री पालाराम

जाति ब्रहामण निवासी निवासी देवीपुरा, तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं

8. गणेश पुत्र मोहन सिंह
9. बलवीर सिंह पुत्र मोहन सिंह

10 भवर सिंह पुत्र मोहन सिंह
11 मंगू सिंह पुत्र मोहन सिंह
12 सार्दुलसिंह पुत्र मोहन सिंह
जाति राजपूत निवासी देवीपुरा तन चिराना तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं
13 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ जिला झुंझुनूं

—अनावेदकगण

वकील आवेदक : — श्री मुकेश जांगिड.
वकील अनावेदक :— श्री अमरसिंह शेखावत

<u>प्रार्थना पत्र : अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

—:: आदेश ::—

दिनांक— 03.11.2025

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :— तहसील नवलगढ में जमीन खसरा नम्बर 1163 रकबा 1.04 हैक्टर व जमीन खसरा नम्बर 1164 रकबा 0.32 हेक्टर कुल किता 2 रकबा 1.36 हेक्टर वाके ग्राम देवीपुरा स्थित है। तहसील नवलगढ में जमीन खसरा नम्बर 1174 रकबा 0.41 हैक्टर वाके ग्राम देवीपुरा स्थित है। जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना पत्र का खातेदार काश्तकार पहले प्रार्थी व अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 7 का पूर्वज था व काबिज था उक्त बन्जी के प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 का पति अप्रार्थी नम्बर 2 लगायत 7 का पिता हुये। उक्त बन्जी का बहुत पहले देहान्त हो गया, उसकी पत्नी का भी देहान्त हो गया। उक्त बन्जी की मृत्यु के बाद जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना पत्र के खातेदार काश्तकार उसके पुत्र हुये व काबिज हुये तथा इस जमीन में उक्त प्रार्थी का 1/8 हिस्सा व अप्रार्थीगण का 1/8 हिस्सा रहा तथा इसी प्रकार प्रकार [illegible] बहस के राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा। उक्त पालाराम का देहान्त काफी साल पूर्व हो गया [illegible] उक्त पालाराम के विवादित जमीन खातेदारी की जमीन में उसके पुत्र—पुत्रीया, पत्नी प्रार्थी व अप्रार्थीगण [illegible] 1 लगायत 7 को प्राप्त हुई तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 7 जमीन वर्णित धारा 2 व [illegible] के 1/8 हिस्से के [illegible] काश्तकार हुये व काबिज हुये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:31:09 IST
Reason: SelfAttested

जमीन वर्णित धारा 2 व 3 प्रार्थना पत्र प्रार्थी व अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 7 की पैतृक सम्पति है। यह जमीन प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 की शामलाती खातेदारी की जमीन है तथा इस जमीन का प्रार्थी व अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 7 के बीच कभी विधिवत खाता विभाजन नही हुआं प्रार्थी व अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 7 इस जमीन जेर बहस को आपसी सोहलियत से अपने— अपने हिस्से के अनुसार काश्त

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

करते आ रहे है व काबिज है। उक्त जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र के सटकर जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना पत्र वाके ग्राम देवीपुरा स्थित हैं। प्रार्थी व अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायात 7 को या इनके पूर्वजों को कभी भी उक्त अनुसार इस जमीन जेर बहस के बने हुये गलत राजस्व रिकार्ड के बाबत कोई जानकारी नही हुई।

जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना पत्र अब से करीब 70 साल से अधिक समय से प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 का अपने दादा बन्जी के समय से कब्जा काश्त है तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 के इस जगीन जेर बहस के कब्जा काश्त में कभी किसी ने किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं की। प्रार्थी व अप्रार्थीगण इस जगीन जेर बहस पर शान्ति पूर्वक काबिज रहकर इस जमीन का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। पहले इस जमीन को प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 के दादा बन्जी काश्त करता था व काबिज था तथा उक्त बन्जी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पालाराम व उसके बाद प्रार्थी व अपार्थीगण लगायत 7 इस जमीन को काश्त करता है व काबिज है।

जमीन वर्णित धारा 3 प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी नम्बर 8 लगायत 12 का विवादित जमीन से कभी किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा व न है। इस जमीन वर्णित धारा 3 प्रार्थना पत्र पर उक्त अनुसार लगातार प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 7 का कब्जा रहा है। जमीन वर्णित धारा 3 प्रार्थना पत्र में करीब 40–45 साल पहले से प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 7 ने रोड़ की तरफ पक्की बाऊण्ड्री वाल का निमार्ण करवाया हुआ है तथा तारबन्धी की हुई है उससे पूर्व अब से करीब 55–60 वर्ष पूर्व पुख्ता ईटो का ढहारा बनाया हुआ है व इस अवधि से गाय भैंसो का बाड़ा बनाया हुआ है व अपने पशु बांधता है। जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी व प्रतिप्रार्थीगण 1 लगायत 7 उसी समय से व इसी अवधि से अपने पशु बांधता है। इसी प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 7 ने अपनी खातेदारी की इसी जमीन परगाय–भैंस बांधने के लिए दो टीनशेड का मकान भी बनाते हुये है। जिनको गाय–भैंस बांधने के काम में लेता है। उक्त अनुसार उक्त जमीन का उपयोग उपभोग प्रार्थी व अप्रार्थीगण लगायत 7 आज दिनांक तक लगातार करता आ रहा है। इसी प्रकार प्रार्थी व अपार्थीगण नम्बर 1 लगायत 7 ने अपनी खातेदारी की इस जगीन में गाय भैंस बांधने के लिए काम में लेता आ रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 लगायत 7 की खातेदारी की जमीन वर्णित चारा 1 बाद पत्र व जमीन वर्णित धारा 3 प्रार्थना पत्र की भूमि को एक साथ शामिल में काश्त कर रहे है। इस प्रकार विवादित जमीन वर्णित धारा 1, 2 वाद पत्र का प्रार्थी व अप्रार्थी नम्बर 1 लगयात 7 एक मात्र खातेदार काश्तकार है व काबिज है तथा अपने परिवार के अन्य सदस्यो के साथ इस जमीन का उक्त अनुसार उपयोग उपभोग करता है व काबिज है।

जमीन वर्णित धारा 3 प्रार्थना पत्र के जमीन के किसी भाग को कभी भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 7 के अलावा अप्रार्थी नम्बर 8 लगायत 12 ने अथवा उसके पिता ने या अन्य किसी ने कभी भी काश्त नही किया व न प्रार्थी व अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 7 अलावा उक्त अप्रार्थीगण नम्बर 8 लगायत 12 का या उसके पूर्वजो का कभी कब्जा ही नही रहा। इस जमीन वर्णित धारा 3 प्रार्थना पत्र के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी आदि में उक्त अप्रार्थीगण नम्बर 8 लगायत 12 का नाम गलत दर्ज रहा है। समस्त परिस्थितियों से यह भी स्पष्ट है कि विवादित जमीन वर्णित धारा 3 प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी व अपार्थीगण नम्बर 1 लगायत 7 का कब्जा लम्बे समय से लगातार चलता आ रहा है। प्रार्थी व अपार्थीगण नम्बर 1 लगायत 7 ही इस जमीन को काश्त किये जाने व इस जमीन में टीनशेड, पुशओ का बाडा आदि बनाकर अपने धनपशु मवेशी आदि विवादित जमीन में रखना आदि तथ्यों से प्रार्थी का अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगयात 7 का विवादित जमीन पर लम्बे समय से सुस्थापित कब्जा होना प्रमाणित होता है इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 7 का इस जमीन का खातेदार काश्तकार है व काबिज है।

उक्त जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना पत्र के सटकर जमीन वर्णित धारा 3 प्रार्थना पत्र वाके ग्राम देवीपुरा स्थित हैं। प्रार्थी व अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायात 7 को या इनके पूर्वजों को कभी भी उक्त अनुसार इस जमीन जेर बहस के बने हुये गलत राजस्व रिकार्ड के बाबत कोई जानकारी नही हुई। इस जमीन जेर बहस वर्णित धारा 3 पत्र प्रार्थना का राज[illegible]सियो नल एण्ड वोईड शून्य बेअसर व निष्प्रभावी है जिसके आधार पर अप्रार्थीगण नम्बर [illegible] तथा इनके पूर्वजो को इस जमीन जेर बहस के बाबत किसी प्रकार के को[illegible] अपार्थीगण नम्बर 1 लगगात 7 उक्त अनुसार राजस्थान टीने[illegible] एक्ट सन 1955 [illegible] में आने से पहले से इस जमीन वर्णित धारा 3 प्रार्थना पत्र पर काबिज रह[illegible] है। इसीलिए प्रार्थी कानून से विवादित जमीन वर्णित धारा 3 प्रार्थना पत्र का खातेदार काश्तकार है त[illegible]इस आशय की घोषणा कानून से अपने हक में करवाने का अधिकारी है। अपार्थी नम्बर 8 लगायत 12 का इस विवादित जमीन से कभी कोई सरोकार नहीं रहा व न अब किसी प्रकार का कोई सरोकार अब है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:31:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, फास्ट ट्रैक) नवलगढ़

दिनांक 26.8.2024 को अचानक अप्रार्थीगण नम्बर 8 लगयात 12 ने प्रार्थी को जमीन जेर बहस वर्णित धारा 3 प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण नम्बर 8 लगायत 12 ने अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगयात 7 से मिलकर इस जमीन वर्णित धारा 1 वाद पत्र को को किसी अन्य के हक में गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर विक्रय करने की धमकी दी। जबकी इस पर भौतिक रूप से अप्रार्थीगण नम्बर 8 लगायत 12 का कब्जा भी नही है तथा न कभी इस जमन को अप्रार्थीगण नम्बर 8 लगायत 12 ने काश्त किया। यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीगण नम्बर 8 लगायत 12 के पिता व उसके पूर्वो का भौतिक कब्जा कभी नही रहा। परन्तु अप्रार्थीगण नम्बर 8 लगायत 12 को अब जमीन का लालच हो गया है तथा लालचवश कुछ भू–माफिया गिरोह के लोगो के हक में विक्रय करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी को अपने हकूको की रक्षार्थ यह दावा करना आवश्यक हुआ है।

प्राथी का का बहुत ही स्ट्रॉग प्राईमा फेसी केस है तथा मामला अर्जेन्ट नेचर का है। प्रार्थी जमीन वर्णित धारा 2 प्रार्थना पत्र के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है व काबिज है व जमीन वर्णित धारा 3 प्रार्थना पत्र स्वीकृत रूप से विवादित जमीन का प्रार्थी का कब्जा है तथा प्रार्थी की विवादित जमीन को काश्त करता है रोड़ की तरफ पक्की बाऊण्ड्रीवाल का निमार्ण करवाया हुआ है तथा तारबन्धी की हुई है उससे पूर्व अब से करीब 55–60 वर्ष पूर्व पुख्ता ईंटो का डहारा बनाया हुआ है व इस अवधि से गाय भैंसो का बाड़ा बनाया हुआ है व अपने पशु बांधता है अपने धन पशु रखता है। इसलिए सुविधा संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में होने कानून की भी यह सुस्थापित व्यवस्था है कि यदि किसी सम्पति पर किसी व्यक्ति का कब्जा बतोर ट्रेस पासर ही क्यों न हो तब भी उस सम्पति का कोई वास्तविक मालिक भी ऐसे व्यक्ति को बिना कानूनी डयू प्रोसेस अपनाए बेदखल नहीं कर सकता। यदि अप्रार्थीगण दौराने दावा अप्रार्थीगण प्रार्थी के विवादित जमीन के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से बाधा डालेंगे या प्रार्थी को विवादित जमीन से जबरन बलपूर्वक बेदखल कर देंगे या इसे कुर्क, निलाम करवा देंगे या अन्य किसी के हक में रहन, बैय व विक्रय कर देंगे तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति जरे, नगद से भी सम्भव नहीं होसकेगी। इसलिए अप्रार्थीगण को तुरन्त प्रभाव से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शशपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण दोराने दावा जमीन ख.नं. 1163, 1164, 1174 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.77 हैक्टर वाके ग्राम देवीपुरा के प्रार्थी के उपयोग उपभोग में कोई बाधा नहीं डाले, प्रार्थी को इस जमीन से जबरन बलपूर्वक बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाऐ बेदखल नहीं करें, इस जमीन में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें न इस जमीन में घुसकर पेड़ आदि काटकर या गढे आदि खोदकर इसे किसी प्रकार से वेस्ट एन्ड डैमेज नहीं करें व इस जमीन को किसी अन्य के हक में रहन अंतरित विक्रय नहीं करें।

अनावेदकगण ने आवेदक के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस पेश किया कि :– वाके ग्राम देवीपूरा की सरहद में खाता सं० नया–322 के अन्तर्गत भूमि ख०नं० 1165 रकबा 0.0500 हैक्टर, भूमि ख०नं० 1171 रकबा 0.2700 हैक्टर तथा भूमि ख०नं० 1174 रकबा 0.4100 हैक्टर कुल खसरा–3 कुल रकबा 0.7300 हैक्टर भूमि अवस्थित है **जो अनावेदक सं० 8 लगायत 12 के कब्जे काश्त की पैत्रिक भूमि है जिससे आवेदक तथा अनावेदक सं० 1 लगायत 7 का किसी भी प्रकार से कभी भी सम्बन्ध नहीं रहा,** ना ही उपरोक्त वर्णित भूमि पर कभी काश्त रहा है जिसका राजस्व रिकॉर्ड जवाब दावा के साथ अलग से संलग्न है। केवल मात्र आवेदकगण के द्वारा अपनी भूमि ख0नं0 1163 रकबा 1.0400 हैक्टर, भूमि ख0नं0 1164 रकबा 0.3200 हैक्टर के साथ गलत रूप से उल्लेख कर झुंठा तथा बोगस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा एक पक्षीय स्थगन की आड़ में जवाब देहन्दा को उसके वैद्य संवैधानिक टेनेन्सी राईट से वंचित करने के उद्देश्य से द्वेषतापूर्वक झुंठा वाद प्रस्तुत किया गया है जिसके सम्बन्ध में अलग से उचित कानूनी कार्यवाही आवेदक के विरूद्ध अमल में लाई जा रही है।

पालाराम तथा बन्जी कौन है, ना तो जवाब देहन्दा जानता है, ना ही जवाब देहन्दा का इनसे कभी किसी भी प्रकार से सम्बन्ध रहा है, ना ही जवाब [illegible] कब्जे काश्त तथा खातेदारी की भूमि ख0नं0 1165 रकबा 0.0500 हैक्टर, भूमि ख0नं0 1171 र[illegible]0.270[illegible]क्टर तथा भूमि ख०नं0 1174 रकबा 0.4100 हैक्टर कुल खसरा–3 कुल रक[illegible] 0.7300 हैक्टर से कभी [illegible] रहा है, ना ही आवेदककी भूमि पर कब्जा काश्त रहा है केवल मात्र पूर्णत[illegible] विरूद्ध प्रस्तुत कर एक पक्षीय स्थगन की आड में लाठी के बल पर [illegible]ताकि प्रार्थना पत्र की आड़ लेकर जवाब देहन्दा से अवैध वसूली कर रूपये हड़प सके। आवेदक का मुख्य धन्धा ही झूठे वाद प्रस्तुत कर लोगों से रूपये हड़पने का रहा है जिसमें किसी भी प्रकार की आवेदक को सफलता मिलने की सम्भावना ही नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:31:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

वाके ग्राम देवीपूरा की सरहद में खाता सं० नया–322 के अन्तर्गत भूमि ख0नं0 1165 रकबा 0.0500 हैक्टर, भूमि ख०नं० 1171 रकबा 0.2700 हैक्टर तथा भूमि ख०नं० 1174 रकबा 0.4100 हैक्टर कुल खसरा–3 कुल रकबा 0.7300 हैक्टर भूमि का खाता अलग है तथा भूमि ख0नं0 1163, 1164 का अलग है। आवेदक तथा जवाब देहन्दा के कब्जे काश्त की भूमि का आपस में किसी प्रकार सम्बन्ध सरोकार नहीं होते हुए भी आवेदक के द्वारा गलत वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसके सम्बन्ध में अलग से हर्जा खर्चा प्राप्त करने हेतु कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

केवल मात्र जवाब देहन्दा के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम देवीपूरा में अवस्थित होने के कारण से सुनियोजित तरीके से एक ख०नं० 1174 की भूमि का गलत रूप से उल्लेख कर जवाब देहन्दा के कब्जे काश्त की पैत्रिक भूमि से किसी भी प्रकार से सम्बन्ध नहीं होते हुए भी गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

वाके ग्राम देवीपूरा की सरहद में खाता सं० नया–322 के अन्तर्गत भूमि ख0नं0 1165 रकबा 0.0500 हैक्टर, भूमि ख0नं0 1171 रकबा 0.2700 हैक्टर तथा भूमि ख0नं0 1174 रकबा 0.4100 हैक्टर कुल खसरा–3 कुल रकबा 0.7300 हैक्टर भूमि अवस्थित है जो अनावेदक सं० 8 लगायत 12 के कब्जे काश्त की पैत्रिक भूमि है जिस पर आवेदक अथवा आवेदक के पूर्वजों का किस वर्ष में कब्जा काश्त रहा, इसके सम्बन्ध में न तो किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत किया है, ना ही अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है, केवल मात्रहवा–हवाई वाद प्रस्तुत कर न्यायालय को मुगालते में रखकर जवाब देहन्दा के कब्ज काश्त की भूमि के एक खसरा नं० 1174 की भूमि पर एक पक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर रूपये हड़पना चाहता है। इसलिए आवेदक का वाद खारिज फरमाया जायें।

ग्राम देवीपूरा की सरहद में खाता सं० नया–322 के अन्तर्गत भूमि ख0नं0 1165 रकबा 0.0500 हैक्टर, भूमि ख०नं० 1171 रकबा 0.2700 हैक्टर तथा भूमि ख0नं0 1174 रकबा 0. 4100 हैक्टर कुल खसरा–3 कुल रकबा 0.7300 हैक्टर भूमि जवाब देहन्दा तथा अनावेदक सं० 9 लगायत 12 के कब्जे काश्त तथा शामलाती खातेदारी की पैत्रिक भूमि है जिसका भूमि ख0नं0 1163, 1164 से किसी भी प्रकार से सम्बन्ध सरोकार नहीं होने के कारण से आवेदक का प्रा–पत्र खारिज फरमाया जावें।

वाद पत्र की धारा–2 में वर्णित भूमि से आवेदक तथा अनावेदक सं० 1 लगायत 7 का किसी भी प्रकार से सम्बन्ध सरोकार नहीं है। अन्य तमाम तथ्य बन्जी कब मरा, कब जिया, उसके कितने पुत्र पुत्रीया थी इससे जवाब देहन्दा तथा अनावेदक सं० 08 लगायत 12 का किसी भी सम्बन्ध सरोकार नहीं होने के कारण से आवेदक का फरमाया जावें। प्रकार से खारिज

पालाराम कब मरा, किसने मारा, या खुद मरा आदि तथ्यों से जवाब देहन्दा का किसी भी प्रकार से सम्बन्ध सरोकार नहीं है, ना ही जवाब देहन्दा तथा अनावेदक सं० 9 लगायत 12 के शामलाती कब्जे काश्त तथा खातेदारी की भूमि खाता सं० नया–322 के अन्तर्गत भूमि ख0नं0 1165 रकबा 0.0500 हैक्टर, भूमि ख०नं० 1171 रकबा 0.2700 हैक्टर तथा भूमि ख०नं० 1174 रकबा 0.4100 हैक्टर कुल खसरा–3 कुल रकबा 0.7300 हैक्टर भूमि से किसी भी से सम्बन्ध नहीं होने के कारण से आवेदक का वाद खारिज फरमाया जावें चूंकि आवेदक तथा जवाब देहन्दा के कब्जे काश्त की भूमि अलग–अलग है, अलग–अलग काश्त करते चले आ रहे है इसलिए आवेदक का प्रा0 पत्र खारिज फरमाया जावें।

वाद पत्र की धारा 2 में न्यायालय को मुगालते में रखकर जवाब देहन्दा के कब्ज काश्त की भूमि के एक खसरा नं0 1174 की भूमि का उल्लेख कर जवाब देहन्दा के विरूद्ध गलत/झुंठा वाद प्रस्तुत कर जवाब देहन्दा से रूपये हड़पना चाहता है। हास्याप्रद तथ्य यह है कि कौनसे पूर्वजों ने, किस वर्ष जवाब देहन्दा के कब्जे काश्त की भूमि पर काश्त की इसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। आवेदक तथा जवाब देहन्दा की भूमि अलग–अलग है, अलग–अलग राजस्व रिकॉर्ड बना हुआ है, अलग–अलग काश्त करते चले आ रहे है, अलग–अलग जाति के है यानी कि किसी भी प्रकार से सम्बन्ध सरोकार नहीं होते हुए भी केवल मात्र आवेदक के द्वारा अपने कब्जे काश्त की भूमि के साथ जवाब देहन्दा के कब्जे काश्त के एक भूमि खसरा नम्बर 1174 का [illegible] न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की धारा–7 जिस तरह से दर्ज है पूर्णतया गलत होने से अस्वीकार है। आवेदक तथा अनावेदक सं० 1 लगायत 7 [illegible] ही बन्जी के समय नहीं हुआ तो बन्जी के साथ कौनसी भूमि पर काश्त की किस वर्ष की, जवाब देहन्दा के कब्जे काश्त की पैत्रिक भूमि से किस प्रकार आवेदक का सम्बन्ध है तमाम [illegible] तथ्यों का किसी भी प्रकार से उल्लेख नहीं कर गलत व न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की धारा–8 जिस तरह से दर्ज है गलत, बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। यह कहना कतई गलत है कि वाद पत्र की धारा–2 में वर्णित भूमि पर अनावेदक सं० 8 लगायत 12 का कब्जा काश्त नहीं हो बल्कि वाद पत्र की धारा–2 में वर्णित भूमि से आवेदक तथा अनावेदक सं० 1 लगायत 7 का किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:31:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

भी प्रकार सम्बन्ध सरोकार नहीं है। आवेदक तथा अनावेदक सं० 1 लगायत 7 की भूमि का खाता अलग है तथा अनावेदक सं० 8 लगायत 12 के कब्जे काश्त की भूमि का खाता अलग है, अलग–अलग काश्त करते चले आ रहे है। अन्य तथ्य 50–60 वर्ष पूर्व इंटो का ढ़ारा, गाय–भैंसो का बाड़ा, पशु बांधना अन्य तमाम तथ्य बेबुनियाद, झुंठे तथा बोगस दर्ज कर वाद प्रस्तुत किया है। अनावेदक सं० 8 लगायत 12 अपने कब्जे काश्त तथा शामलाती खातेदारी की खाता सं० नया–322 के अन्तर्गत भूमि ख0नं0 1165 रकबा 0.0500 हैक्टर, भूमि ख०नं० 1171 रकबा 0.2700 हैक्टर तथा भूमि ख0नं0 1174 रकबा 0.4100 हैक्टर कुल खसरा–3 कुल रकबा 0.7300 हैक्टर भूमि का उपभोग–उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है जिसमें आवेदक को किसी भी प्रकार से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि अनावेदक सं० 8 लगायत 12 के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा करें क्योंकि जवाब देहन्दा के कब्जे काश्त की पैत्रिक भूमि से आवेदक का किसी भी प्रकार सम्बन्ध सरोकार नहीं होने के कारण से आवेदक का प्रा0 पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र की धारा–9 जिस तरह से दर्ज है पूर्णतया बोगस, झुंठी दर्ज करने के कारण से अस्वीकार है। यह कहना कतईगलत है कि वाद पत्र की धारा–2 में वर्णित भूमि पर अनावेदक सं० लगायत 12 का कब्जा काश्त नहीं हो बल्कि वाद पत्र की धारा–2 में वर्णित भूमि से आवेदक तथा अनावेदक सं० लगायत 7 का किसी भी प्रकार सम्बन्ध सरोकार नहीं है। आवेदक तथा अनावेदक सं० 1 लगायत 7 की भूमि का खाता अलग है तथा अनावेदक सं० 8 लगायत 12 के कब्जे काश्त की भूमि का खाता अलग है, अलग–अलग काश्त करते चले आ रहे है, न तो आवेदक अथवा आवेदक के पूर्वजों का जवाब देहन्दा की पैत्रिक शामलाती कब्जे काश्त की खाता सं० नया–322 के अन्तर्गत भूमि ख०नं० 1165 रकबा 0.0500 हैक्टर, भूमि ख०नं० 1171 रकबा 0.2700 हैक्टर तथा भूमि ख0नं0 1174 रकबा 0.4100 हैक्टर कुल खसरा–3 कुल रकबा 0.7300 हैक्टर भूमि से सम्बन्ध रहा है ना ही कभी कब्जा काश्त रहा है केवल मात्र झुंठे फर्जी तरीके से टीन शैड, पशुओं का बाड़ा आदि का उल्लेख प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की धारा–10 जिस तरह से दर्ज है अस्वीकार है। जवाब देहन्दा तथा अनावेदक सं० 9 लगायत 12 के शामलाती कब्जे काश्त की पैत्रिक भूमि खाता सं० नया–322 के अन्तर्गत भूमि ख०नं० 1165 रकबा 0.0500 हैक्टर, भूमि ख०नं० 1171 रकबा 0.2700 हैक्टर तथा भूमि ख0नं0 1174 रकबा 0.4100 हैक्टर कुल खसरा–3 कुल रकबा 0.7300 हैक्टर भूमि से आवेदक तथा अनावेदक सं० 1 लगायत 7 का किसी भी प्रकार से कभी भी सम्बन्ध नहीं रहा, ना ही उपरोक्त वर्णित भूमि पर कभी काश्त रहा है जिसका राजस्व रिकॉर्ड जवाब दावा के साथ अलग से संलग्न है। केवल मात्र आवेदकगण के द्वारा अपनी भूमि ख०नं० 1163 रकबा 1.0400 हैक्टर, भूमि ख०नं० 1164 रकबा 0.3200 हैक्टर के साथ गलत रूप से उल्लेख कर झुंठा तथा बोगस वाद प्रस्तुत किया गया है। केवल मात्र झुंठा उल्लेख करने से न तो किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है, ना ही किसी के खातेदारी अधिकार विलोपीत होते है। आवेदक का वाद पूर्णतया फर्जी तथ्यों के आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत करने के कारण से आवेदक का प्रा0 पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र की धारा–11 जिस तरह से दर्ज है अस्वीकार है। ग्राम देवीपूरा की सरहद में खाता सं० नया 322 के अन्तर्गत भूमि ख०नं० 1165 रकबा 0.0500 हैक्टर, भूमि ख०नं० 1171 रकबा 0.2700 हैक्टर तथा भूमि ख०नं० 1174 रकबा 0.4100 हैक्टर कुल खसरा–3 कुल रकबा 0.7300 हैक्टर भूमि अवस्थित है जो अनावेदक सं० 8 लगायत 12 के कब्जे काश्त की पैत्रिक भूमि है जिससे आवेदक तथा अनावेदक सं० । लगायत 7 का किसी भी प्रकार से कभी भी सम्बन्ध नहीं रहा, ना ही उपरोक्त वर्णित भूमि पर आवेदक का कभी कब्जा काश्त रहा है जिसका राजस्व रिकॉर्ड जवाब दावा के साथ अलग से संलग्न है। आवेदक ने कब, किस वर्ष जवाब देहन्दा के कब्जे काश्त तथा खातेदारी की भूमि पर फसल काश्त की, इसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण से आवेदक का प्रा0 पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र की धारा–12 जिस तरह से दर्ज है पू[illegible] गल[illegible]ते तथ्य दर्ज करने के कारण से अस्वीकार है। जवाब देहन्दा के कब्जे काश्त [illegible] भूमि से आवेदक [illegible]सी भी प्रकार से सम्बन्ध सरोकार नहीं होते हुए भी गलत वाद प्रस्तुत कि[illegible] जवाब देहन्दा को प्राप्त टेनेन्सी राईट से कानूनन वंचित नहीं कि[illegible] री से वंचित किया जा सकता है। जवाब देहन्दा अपनी कब्जे काश्त तथा शामलाती खातेदारी की भूमि का अपनी इच्छानुसार उपभोग–उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है जिसमें आवेदक किसी भी प्रकार से व्यवधान पैदा करने का अधिकार है। आवेदक का प्रा0 पत्र होचपोच, हवा–हवाई होने के कारण से खारिज फरमाया जावें।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:31:09 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र की धारा–13 जिस तरह से दर्ज है पूर्णतया गलत, झुंठे तथ्य दर्ज करने के कारण से अस्वीकार है। जवाब देहन्दा अपनी कब्जे काश्त तथा शामलाती खातेदारी की भूमि का अपनी इच्छानुसार उपभोग–उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है जिसमें आवेदक किसी भी प्रकार से व्यवधान पैदा करने का अधिकार है। न तो प्रार्थनापत्र स्ट्रॉग प्राईमाफेसी का है, ना ही अर्जेन्ट नेचर का है, ना ही न्यायालय से आवेदक किसी भी प्रकार की सहायता जवाब देहन्दा के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि ग्राम देवीपुरा की सरहद में खाता सं० नया–322 के अन्तर्गत भूमि ख०नं० 1165 रकबा 0.0500 हैक्टर, भूमि ख०नं० 1171 रकबा 0.2700 हैक्टर तथा भूमि ख०नं० 1174 रकबा 0.4100 हैक्टर कुल खसरा–3 कुल रकबा 0.7300 हैक्टर भूमि अवस्थित है जो अनावेदक सं० 8 लगायत 12 के कब्जे काश्त की पैत्रिक भूमि है जिससे आवेदक तथा अनावेदक सं० 1 लगायत 7 का किसी भी प्रकार से कभी भी सम्बन्ध नहीं रहा, ना ही उपरोक्त वर्णित भूमि पर कभी काश्त रहा है जिसका राजस्व रिकॉर्ड जवाब दावा के साथ अलग से संलग्न है। केवल मात्र आवेदकगण के द्वारा अपनी भूमि ख०नं० 1163 रकबा 1.0400 हैक्टर, भूमि ख०नं० 1164 रकबा 0.3200 हैक्टर के साथ गलत रूप से उल्लेख कर झुंठा तथा बोगस वाद प्रस्तुत किया गया। इसलिए आवेदक का प्रा० पत्र होच पोच, हवा–हवाई होने के कारण से खारिज फरमाया जावें।

अतः जबाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक न्यायालय से किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने के कारण से आवेदक का प्रार्थना–पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :– दोनों बिन्दुओ का एक साथ विवेचन किया जा रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी या प्रार्थी के पूर्वज खातेदार काश्तकार न तो वर्तमान में दर्ज है तथा ना ही पूर्व में दर्ज थे। अनावेदकगण 08 लगायत 12 उक्त विवादग्रस्त भूमि के रिकॉडेर्ड खातेदार काश्तकार है तथा रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का आवेदक अधिकारी नही है। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का कोई औचित्य नही है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है।

अपूरणीय क्षति :– आवेदक उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार नही होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की कोई संभावना नही है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचना अनुसार आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सारहीन है। लिहाजा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 01.10.2024 को खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नतीजा हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को खुले न्यायालय में लिखाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:31:09 IST
Reason: SelfAttested

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ